बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस विज्ञप्ति।।

दिनांक–02.04.2020

समय–07:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:–

1. कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सहित सम्पूर्ण देश में दिनांक 25.03.2020 से lockdown लागू किया गया है। Lockdown की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सभी राशनकार्ड धारियों को कोरोना सहायता के रूप में 1000/– रू0 प्रति राशनकार्ड धारी की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है। यह राशि National Informatics Centre(NIC) के सहयोग से Public Financial Management System (PFMS) के द्वारा राज्य स्तर से ही सीधे लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। **श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्य मंत्री, बिहार द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया।** इसके अन्तर्गत आज **18,40,854 लाभुकों के बैंक खाते में 1000/– रू0 की दर से कुल 184,08,54,000 (एक सौ चौरासी करोड़ आठ लाख चौवन हजार)** रू0 की राशि हस्तांतरित किया गया तथा शेष लाभुकों को अतिशीघ्र ही राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
2. राज्य के शहरी इलाकों में निर्धन, निराश्रित आदि व्यक्तियों के लिये कुल 128 आपदा राहत केन्द्र संचालित किये गये, जिसमें आवासन के साथ–साथ भोजन की भी व्यवस्था की गयी है। उक्त आपदा राहत केन्द्रों में आज लगभग 9261 लोगों को भोजन कराया गया है। आपदा राहत केन्द्र में social distancing का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया है।
3. Lockdown के कारण अन्य राज्यों से लौटे लगभग 25000 बिहारी मजदूरों/ अन्य व्यक्तियों को उनके गाँव के विद्यालय में संचालित **कुल 3115 विद्यालय क्वॉरंटीन कैम्प** में 14 दिनों तक के लिये क्वॉरंटीन में रखा गया है, **जहाँ राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवासन एवं भोजन की व्यवस्था की जा रही है।**
4. राज्य सरकार के द्वारा **देश की राजधानी दिल्ली में** आज से बिहारी मजदूरों के लिये 10 आपदा राहत केन्द्र का संचालन प्रारम्भ किया गया, जहाँ उन्हें निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है।
5. Lockdown के दौरान अन्य राज्यों में फॅसे बिहार के मजदूरों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के बैंक खाते में **मुख्यमंत्री राहत कोष** से 1000/– रू0 की दर से राशि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु मोबाईल ऐप डाउनलोड करने के लिये www.aapda.bih.nic.in पर एक लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से लाभुक स्वयं को उक्त ऐप पर पंजीकृत कर सकेंगे।
6. 10 मार्च के पश्चात विदेश एवं अन्य राज्यों से यात्रा कर बिहार लौटे यात्रियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है एवं quarantine के दृष्टिकोण से **गरूड़ ऐप** के द्वारा उनका लगातार tracking कराया जा रहा है।
7. राज्य में लागू lockdown के आलोक में कानून/सरकारी आदेश का उलंघन करने पर **अबतक कुल 618 FIR** दर्ज कराया गया है। साथ ही **अबतक कुल 13316 वाहनों** के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के तहत कार्रवाई की गयी है।